XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09.12.2011		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–166/2010

1. मो0 मजहर आलम
2. इसराईल
3. मो0 अनवारूल
4. मो0 इजहार
5. अब्दूल बारी
6. अब्दूल बाजीद

सभी के पिता–स्व0 ईशाक, क्रमांक–1 से 6 का साकिन–बसदाहा टोला हाटगच्छी, थाना–डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ

7. बीबी रेहाना खातुन, पिता–स्व0 ईशाक, पति–आफाक
8. बीबी रूखसाना खातुन, पिता–स्व0 ईशाक, पति–असलम

क्रमांक–7 एवं 8 का साकिन–पर्सराय, थाना–डगरूआ, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदकगण

बनाम्

1. मो0 सोएब आलम
2. मो0 अबू जफर
3. मो0 जाबेद
4. मो0 जुनेद
5. मो0 खलील
6. मो0 मजीद

सभी के पिता–स्व0 मो0, सभी का साकिन–बसदाहा, थाना– बायसी, जिला–पूर्णियाँ

.....

विपक्षीगण

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बायसी द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–3/2010 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि थाना नं0–327, मौजा–सकमा, खाता संख्या–170, खेसरा संख्या–31, 32, 33, 34, 248, 792, 794, 1200, 1201, 36, रकवा–69 डिसमिल, खाता संख्या–336, खेसरा संख्या–22, 23 रकवा–26 डिसमिल, खाता संख्या–311, खेसरा संख्या–35, 38, रकवा–36 डिसमिल, खाता संख्या–90, खेसरा संख्या–30, 37, रकवा–45 डिसमिल कुल रकवा–1.76 एकड़ जमीन रिभिजनल सर्वे में आवेदकगण के पिता मो0 इशाक तथा मो0 सफी, मो0 मजीद, शेख ग्यासउद्दीन, शेख मकसूद, बीबी सलीमन, बीबी किताबन एवं फकीरा के नाम दर्ज था। आवेदकगण पिता के समय से ही उपरोक्त जमीन पर दखलकार है। आवेदकगण उपरोक्त जमीन का नामान्तरण अंचलाधिकारी, डगरूआ के कार्यालय में नामान्तरण वाद संख्या–215/2009 द्वारा अपने नाम करवाया। नामान्तरण के प्रकिया के क्रम में विपक्षी ने अंचलाधिकारी को आपत्ति आवेदन दिया कि उपरोक्त जमीन का लादाबीनामा वर्ष 1968 में आवेदक के पिता इशाक एवं बीबी किताबन से प्राप्त है। अंचलाधिकारी ने वास्तवित तथ्यों

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

की जाँच कर विपक्षी के आपत्ति को खारिज कर दिया। तदुपरान्त विपक्षी आवेदक के नामान्तरण के विरूद्ध भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–3/2010 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा बिना जाँच किये हुए विपक्षी के नाम नामान्तरण करने का आदेश पारित किया गया। जो नियम के विरूद्ध है। विपक्षी न्यायालय में गलत लादाबीनामा प्रस्तुत किया है। लगभग 45 वर्षो के बाद विपक्षी ने आपत्ति किया है, जबकि वर्तमान समय तक प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा आवेदकगण का है। अतः आवेदकगण निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर अपने स्तर से सुनवाई कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदकगण द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षीगण प्रश्नगत जमीन का मालगुजारी रसीद वर्ष 1986 से कटा रहे है। प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयतों में से एक मो0 सफी के वारिसों ने खाता संख्या–170, 337, 311 एवं 90 का नामान्तरण अपने पिता मो0 सफी के नाम करवा कर वर्ष 2010–11 तक का मालगुजारी रसीद भी कटा चुका है। अंचल निरीक्षक एवं अंचलाधिकारी, डगरूआ ने भी स्थल जाँच के क्रम में विपक्षी का ही दखल पाया है। आवेदकगण बिना किसी साक्ष्य के कह रहे हैं कि विपक्षीगण के नाम लादाबीनामा गलत है। इस लादाबीनामा के विरूद्ध आवेदक ने कभी भी सक्षम न्यायालय में अपील दायर नहीं किया। आवेदकगण के पिता एवं बीबी किताबन ने अपना हिस्सा लादाबीनामा द्वारा विपक्षी के पास बेच दिया है। प्रश्नगत जमीन पर विपक्षीगण का दखल एवं कब्जा है। आवेदकगण जमीन को हड़पने के उद्देश्य से यह वाद प्रारम्भ किया है।

अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 08.07.2011 को सुनवाई की गई। सुनवाई से पूर्व जानकारी होने के बावजूद भी विपक्षी के द्वारा हाजरी देकर न्यायालय से अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा पुनः अपना लिखित आवेदन पर वर्णित मामले को दुहराया गया।

पुनः दिनांक 09.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया ।

उपर्युक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के उपरान्त स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इसमें किसी तरह का हस्ताक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ